रजिस्ट्री सं. डी. (पी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (PM) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 534] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 1988/आश्विन 19, 1910
No. 534] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1988/ASVINA 19, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1988

सा.का.नि. 1000 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (ङ) और (च) तथा धारा 36 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1987 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) संशोधन नियमावली, 1988 है।

(2) ये नियम 24 अक्तूबर, 1988 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1987 की धारा 2 में (उसके बाद इसका नियम के रूप में उल्लेख किया गया है) :—

(क) खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) "अधिकर्ता" से किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से अधिकरण के समक्ष आवेदन, लिखित उत्तर, प्रत्युत्तर अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;"

(ख) खण्ड (च) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) "लिपिक अधिकारी" से लिपिक श्रेणि की संवर्ग का कार्यालय प्रधान पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है, जिसे वैसा सामान्यतः या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्रतिनिधि अथवा, मुख्य वैसा प्रधान किसी का अधिकार प्रदान है, अभिप्रेत है;"

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,

(क) उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन, निम्नलिखित दो संकलनों में तीन पूर्ण सैटों में प्रस्तुत किया जाएगा —

(i) संकलन संख्या 1 :—रद्द करने वाले आदेश, यदि कोई हों, सहित आवेदन;

(ii) संकलन संख्या 2:—एक अभिलेख पुस्तिका प्ररूप में आवेदन में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज और अनुबन्ध ";

(ख) उप-नियम (5) के खण्ड (ख) के अन्त में, "बशर्ते कि कम से कम एक प्रभावित व्यक्ति ऐसे आवेदन-पत्र में शामिल हो" शब्द जोड़े जायेंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में—

(क) उप-नियम (3) के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"जहां आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होता है वहां आवेदक को त्रुटियां, यदि कोई हों, सूचित की जाएंगी और उसके द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जो भी रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाए, उसका परिशोधन किया जाना अपेक्षित है ";

(ख) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) (क) यदि सम्बद्ध आवेदक उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि का परिशोधन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार, ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा आदेश द्वारा आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और मामले को समुचित आदेशों के लिए न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) ऐसे मामले पर चैम्बर में कार्रवाई की जा सकेगी और उसे निपटाया जा सकेगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. आवेदन फाइल करने का स्थान—(1) किसी आवेदक द्वारा सामान्यतः आवेदन उस न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में,—

(i) आवेदक फिलहाल तैनात है; अथवा

(ii) कार्रवाई का हेतुक, पूर्ण अथवा आंशिक, पैदा हुआ है ;

परन्तु शर्त यह है कि ऐसा आवेदन अदालत की इजाजत से धारा 25 के अधीन अन्य न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के यहां दायर किया जा सकता है, ऐसे आवेदन पर सुनवाई तथा उसका निपटान उस न्यायपीठ द्वारा की जाएगी/किया जाएगा, जिसके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है।

(2) उप-नियम (1) में दी गई किसी बात के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को जो सेवा निवृत्ति पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हैं, अगर वह चाहें तो न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पास आवेदन फाइल कर सकते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा व्यक्ति आवेदन फाइल करने के समय सामान्यतः रह रहा है।

6. उक्त नियमों के नियम 8 में, उप-नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) जहां आवेदक विलम्ब के लिए क्षमा मांगता है वहां वह, एक हलफनामा संलग्न करते हुए, अलग से एक आवेदन दायर करेगा "।

7. उक्त नियमों के नियम 9 में, उप-नियम (1) में "एक अभिलेख पुस्तिका संलग्न होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित दस्तावेज होंगे" शब्द रखे जायेंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 11 में,—

(क) अधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिसों को निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि से तामील किया जाए —

(1) पार्टी द्वारा स्वयं तामील ;

(2) वाद तामील करनेवाले के माध्यम से करवाकर;

(3) रजिस्ट्री डाक द्वारा ;

(4) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

किन्तु शर्त यह है कि यदि अधिकरण सेवा की विधि का उल्लेख नहीं करता है तो नोटिसों को "रजिस्टर्ड" रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 5 के नियम 19क के उप-नियम (2) के उपबन्ध ऐसी सेवा विधि पर लागू होंगे ;

(ख) उप-नियम (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

"(4) उप-नियम (1) में दी गई किसी बात के बावजूद भी, अधिकरण मामले के स्वरूप का ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक पर केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा संगठन, अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी प्राधिकरण, किसी निगम, किसी निकाय

के लिए सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत स्थायी वकीलों को नोटिस की तामील का निदेश दे सकता है ।

"(5) अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक नोटिस के साथ जब तक अन्यथा आदेश न हो रद्द करने वाले आदेश की एक प्रति के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति होगी ।"

9. उक्त नियमों के नियम 17 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"17. पुनरावलोकन याचिका—(i) पुनरावलोकन के लिए किसी भी याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह जिस आदेश के विरुद्ध पुनरावलोकन की मांग की गई है उस आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर दायर न की गई हो।

(ii) पुनरावलोकन याचिका की सुनवायी सामान्यतः उसी न्यायपीठ द्वारा की जाएगी, जिसने आदेश पारित किए हैं, जब तक कि, अध्यक्ष लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इसकी किसी अन्य न्यायपीठ द्वारा सुनवायी किए जाने के निदेश न दे सके।

(iii) जब तक कि संबंधित न्यायपीठ द्वारा अन्यथा आदेश न किए गए हों किसी पुनरावलोकन याचिका को परिचालन द्वारा निपटाया जाएगा, जहां न्यायपीठ याचिका को खारिज कर सकती है अथवा विपक्ष को नोटिस जारी करने का निदेश दे सकती है।

(iv) जहां किसी निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन की याचिका निपटा दी गई है, वहां और आगे पुनरावलोकन के लिए किसी अन्य याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

10. उक्त नियमों के नियम 18 में, उप-नियम (1) में, "30 दिन" के स्थान पर "नब्बे दिन" रखा जाएगा ।

11. उक्त नियमों के नियम 21 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"21. आदेशों का प्रकाशन :—अधिकरण के उन आदेशों को जिन्हें किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक समझा जाए तो ऐसे नियन्त्रणों और शर्तों पर जहां अध्यक्ष किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, ऐसे प्रकाशन के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा।"

12. उक्त नियमों के नियम 22 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"22. आदेशों का पक्षकारों को संसूचित किया जाना :—(1) अंतरिम राहत स्वीकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले या संशोधित करने वाले प्रत्येक अनन्तिम आदेश तथा अंतिम आदेश आवेदक को और संबंधित प्रत्यर्थी को या उनके वकीलों को या तो दस्ती या डाक द्वारा निशुल्क संसूचित किया जाएगा ।

12. उक्त नियमों के नियम 22 में, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22. आदेशों का पक्षकारों को संसूचित किया जाना :—

(1) अन्तरिम राहत स्वीकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले या संशोधित करने वाले प्रत्येक अनन्तिम आदेश तथा अंतिम आदेश आवेदक को और संबंधित प्रत्यर्थी को या उनके परामर्शदाताओं को या तो दस्ती या रजिस्ट्री डाक द्वारा निशुल्क संसूचित किया जाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि जब तक कि किसी न्यायपीठ द्वारा अन्यथा आदेश न किए गए हों, अंतिम आदेश की प्रति किसी ऐसे प्रत्यर्थी को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, जो हाजिर न हुआ हो ;

किन्तु यह और कि जब याचिकादाताओं अथवा प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व एकल वकालतनामे के अंतर्गत किसी वकील द्वारा किया जाता है तो ऐसे वकील को जिसका नाम उसमें दिया गया होगा, एक ही प्रति दी जाएगी ।

13. उक्त नियमों के, नियम 28 में, उप-नियम (3) के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(3) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में, उप-रजिस्ट्रार अथवा ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य प्रदान किए गए हैं, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों को कर सकेगा।"

14. उक्त नियमों के नियम 29 में:—

(क) खण्ड (viii) में, "15" दिन शब्द और अंकों के के स्थान पर "30 दिन" शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

15. उक्त नियमों के परिशिष्ट "क" में फार्म 1 के लिए, निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"फार्म—1"

(देखिए नियम-4)

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अधीन आवेदन

मामले का शीर्षक

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	उन दस्तावेजों का ब्योरा जिनका अविलंब लिया गया है	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदन पत्र	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

आवेदक के हस्ताक्षर
अधिकरण के कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल करने की तारीख----------

या

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख----------

रजिस्ट्रीकरण की संख्या ----------

हस्ताक्षर
कृते रजिस्ट्रार

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

----------न्यायपीठ

क.ख---(पिता का नाम, निवास स्थान का पता, नियुक्ति अथवा अंतिम नियुक्ति के स्थान का ब्योरा दें)

आवेदक

बनाम

ग-घ---(वह आवासीय अथवा सरकारी पता, जहां प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों को नोटिस तामील करने के लिए भेजा जा सके। प्रत्येक प्रत्यर्थी का ब्योरा कालानुक्रम से दिया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी

आवेदन के ब्योरे :

1. उस आदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है :

(उस आदेश की, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है, संख्या, तारीख तथा आदेश को पारित करने वाले प्राधिकारी आदि का ब्योरा)

2. अधिकरण की अधिकारिता :

आवेदक यह घोषणा करता है कि उस आदेश की, जिसके विरुद्ध वह प्रतितोष चाहता है विषय वस्तु-अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत है।

3. परिसीमाएं :

आवेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 में विहित परिसीमा के भीतर है।

4. मामले के तथ्य :

(यहां क्रमानुसार तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन दें, प्रत्येक पैरा में यथासंभव निकटतम एक पृथक विवादमद अथवा तथ्य अन्तर्विष्ट हो)

5. विधिक उपबन्धों के साथ अनुतोष के लिए आधार।

6. निःशेष किए गए उपचारों के ब्यारे :

आवेदक यह घोषणा करता है कि उसने सुसंगत सेवा नियमों आदि के अधीन उसको उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग कर लिया गया है। (यहां किए गए अभ्यावेदनों के ब्यारे, उनके समर्थन में दिए जाने वाले ऐसे अभ्यावेदनों का परिणाम, अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में क्रमानुसार दें।

7. ऐसे विषय जो पहले किसी अन्य न्यायालय में दायर अथवा लंबित नहीं है :

आवेदक यह घोषणा करता है कि उसने उस मामले के सम्बन्ध में, जिसके बारे में यह आवेदन पत्र दिया है, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण अथवा अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष, पहले कोई आवेदन पत्र, रिट्याचिका अथवा वाद न तो पहले दायर किया था, तथा न ही ऐसा कोई आवेदन पत्र, रिट्याचिका अथवा वाद इसके समक्ष लंबित ही है।

यदि आवेदक ने पहले कोई आवेदन पत्र, रिट्याचिका अथवा वाद दायर किया था तो उस स्थिति (स्टेज) का उल्लेख करें जिस पर यह लंबित है तथा यदि इसमें निर्णय ले लिया गया है तो, उसके समर्थन में दिए जाने वाले निर्णयों का सार अनुबन्धों की संख्या के संदर्भ में दिया जाना चाहिए।

8. मांगे गए अनुतोष :

ऊपर पैरा 6 में वर्णित को ध्यान में रखकर आवेदक निम्नलिखित अनुतोष(षों) के लिए प्रार्थना करता है :—

(नीचे मांगे गए अनुतोष (षों) को विनिर्दिष्ट करें और ऐसे अनुतोष (षों) के आधार पर और विधिक उपबन्धों (यदि कोई हों) को स्पष्ट करें, जिनका उल्लेख किया गया है।

9. अन्तरिम आदेश, यदि किसी के लिए प्रार्थना की गई है :

आवेदन पर अन्तिम विनिश्चय लंबित रहने तक आवेदक निम्नलिखित अन्तरिम आदेश जारी किए जाने की मांग करता है :—

(उस अन्तरिम आदेश की प्रकृति का उल्लेख करें जिसकी प्रार्थना की गई है) ।

10. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने की दशा में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या आवेदक प्रवेश स्तर पर मौखिक सुनवाई की आकांक्षा करता है और यदि ऐसा है तो वह अपना पता लिखा हुए एक पोस्टकार्ड/अन्तर्देशीय पत्र संलग्न करे जिस पर सुनवाई की तारीख के बारे में सूचना भेजी जा सके ।

11. आवेदन फीस के सम्बन्ध में बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर की विशिष्टियां :

12. अनुलग्नकों की सूची :

1.
2.
3.
4.
5.

सत्यापन]

मैं :———————— (आवेदक का नाम)
पुत्र, पुत्री, पत्नी ————————आयु————
जो———— ————————कार्यालय में————के रूप में कार्य कर रहा हूं/रही हूं और जो————का निवासी हूं/की निवासी हूं । यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि————से———— तक के पैराग्राफों की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है और पैरा————से ————तक की विषयवस्तु को कानूनी सलाह के आधार पर सत्य समझा जाता है । यह कि मैंने किसी भी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :
स्थान :

[संख्या 11019/44/87-ए.डी.]
श्रीमती कृष्णा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1988

G.S.R. 1000(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the 21th of October, 1988.

2. In section 2 of the Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules),—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

'(b) "agent" means a person duly authorised by a party to present an application, written reply, rejoinder or any other document on its behalf before the Tribunal';

(b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

'(f) "Legal representative" means a person who in law represents the estate of the deceased person and includes a person or persons in whom the right to receive pensionary, retirement, terminal or other benefits or family pension vests'.

3. In rule 4 of the said rules,—

(a) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The application under sub-rule (1) shall be presented in triplicate in the following two compilations—

(i) compilation number 1 :—application along with the impugned order, if any;

(ii) compilation number 2 :—all other documents and annexures referred to in the application in a paper book form.";

(b) in sub-rule (5) in clause (b), the words "provided that at least one affected person

joins such an application" shall be added at the end.

4. In rule 5 of the said rules,—

(a) in sub-rule (3), the following shall be added at the end, namely :—

"where an application is received by registered post, the applicant shall be informed of the defects, if any, and he shall be required to rectify the same within such time as may be stipulated by the Registrar.";

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) (a) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule(3), the Registrar may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and place the matter before the Bench for appropriate orders.

(b) Such matter may be dealt with and disposed of in chamber."

5. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Place of filing application.—(1) An application shall ordinarily be filed by an applicant with the Registrar of the Bench within whose jurisdiction—

(i) the applicant is posted for the time being, or

(ii) the cause of action, wholly or in part, has arisen :

Provided that with the leave of the Chairman the application may be filed with the Registrar of the Principal Bench and subject to the orders under section 25, such application shall be heard and disposed of by the Bench which has jurisdiction over the matter.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) persons who have ceased to be in service by reason of retirement, dismissal or termination of service may at his option file an application with the Registrar of the Bench within whose jurisdiction such person is ordinarily residing at the time of filing of the application".

6. In rule 8 of the said rules, after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Where the applicant seeks condonation of delay, he shall file a separate application supported by an affidavit".

7. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "a paper book containing", the words "the following documents" shall be substituted.

8. In rule 11 of the said rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Notices to be issued by the Tribunal may be served by any of the following modes—

(i) service by the party itself;

(ii) by hand delivery (dasti) through process server;

(iii) by registered post 'with acknowledgement due';

(iv) through the concerned Head of the Department :

Provided that if the Tribunal does not specify the mode of service, notice may be sent by registered post 'with acknowledgement due' and the provision of sub-rule (2) of rule 19A of Order V of First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply to such mode of service";

(b) for sub-rules (4) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Tribunal may, in its discretion, having regard to the nature of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsel, authorised to accept the service, for any Department or Organisation of the Central Government, or an authority, a corporation, a body owned or controlled by the Central Government.

(5) Every notice issued by the Tribunal shall unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the application and a copy of the impugned order".

9. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"17. Review petition.—(i) No petition for review shall be entertained unless it is filed within thirty days from the date of the order of which the review is so sought.

(ii) A review petition shall ordinarily be heard by the same Bench which has passed the order, unless, for reasons to be recorded in writing, the Chairman may direct it to be heard by any other Bench.

(iii) Unless ordered otherwise by the Bench concerned, a review petition shall be disposed of by circulation where the Bench may either dismiss the petition or direct notice to be issued to the opposite party.

IndiaCode

(iv) Where a petition for review of any judgement or order has been disposed of, no further petition for further review shall lie".

10. In rule 18 of the said rules, in sub-rule (1), for the words 'thirty days", the words "ninety days" shall be substituted.

11. For rule 21 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"21. Publication of orders.—Such of the orders of the Tribunal, as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press, may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman may specify by general or special order."

12. For rule 22 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"22. Communication of orders to the parties.—(1) Every interim order, granting or refusing or modifying interim relief and final order shall be communicated to the applicant and to the concerned respondent or to their Counsels, either by hand delivery or by post free of cost :

Provided that unless ordered otherwise by a Bench, a copy of the final order need not be sent to any respondent who has not entered appearance :

Provided further that when the petitioners or the respondents is represented by a Counsel, under a single Vakalatnama, only one copy shall be supplied to such Counsel as named therein."

13. In rule 28 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) In the absence of the Registrar, the Deputy Registrar or any other officer to whom the powers and functions of the Registrar are delegated by the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, may exercise the powers and functions of the Registrar."

14. In rule 29 of the said rules,—

(a) in clause (viii), for the figures and word "15 days", the figures and word "30 days" shall be substituted.

15. In appendix A to the said rules, for Form I, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM-I"

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985

Title of the Case :

INDEX

S. No.	Descriptions of documents Relied upon	Page No.
1.	Application	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the Applicant

For use in Tribunal's Office

Date of filing
or
Date of receipt by post
Registration No.

Signature
for Registrar

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL————BENCH

A.B. (add description such as son of, resident of and place of employment or last employed.....

APPLICANT

VS.

C.D. (add description and the residential or official address on which the service of notices is to be effected on the respondent or respondents. The details of each respondent are to be given in a chronological order)

RESPONDENT

DETAILS OF APPLICATION :

1. Particulars of the order against which the application is made :

(Particulars of the order giving the details like the number, date and the authority which has passed the order, against which the application is made).

2. Jurisdiction of the Tribunal :

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

3. Limitation :

The applicant further declares that the application is within the limitation period prescribed in section 21 of the Administartive Tribunals Act, 1985.

IndiaCode

4. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

5. Grounds for relief with legal provisions :

6. Details of the remedies exhausted :

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, etc.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representations with reference to the number of Annexure to be given in support thereof).

7. Matters not previously filed or pending with any other court :

The applicant further declares that he had not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application has been made, before any court or any other authority or any other Bench of the Tribunal nor any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

In case the applicants had previously filed any such application, writ petition or suit, the stage at which it is pending, and if decided, the list of the decisions should be given with reference to the number of Annexure to be given in support thereof.

8. Relief's sought :

In view of the facts mentioned in para 6 above the applicant prays for the following relief(s) :—

(Specify below the relief(s) sought explaining the grounds for such relief(s) and the legal provisions, if any relied upon).

9. Interim order, if any prayed for :

Pending final decision on the application, the applicant seeks the following interim relief :

(Give here the nature of the interim relief prayed for).

10. In the event of application being sent by registered post, it may be stated whether the applicant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a self-addressed Post-Card or Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.

11. Particulars of Bank Draft/Postal Order filed in respect of the application fee.

12. List of enclosures :

1.

2.

3.

4.

VERIFICATION

I (Name of the applicant) S|O, W|O, D|O, age, working as in the office of, resident of, do hereby verify that the contents of paras..... to are true to my personal knowledge and paras to believed to be true on legal advice and that I have not supressed any material fact.

Date :

Place :

Signature of the applicant."

[No. A-11019|44|87-AII]

SMT. KRISHNA SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988